

पत्रांक-श्रम क०सं०-53/2026-1०8५
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) एवं 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	स्व० गणेश महतो, 55, राम सोभित महतो, पिछड़ा वर्ग	सुनैना देवी, (पत्नी)	417, 08.04. 2026	ग्रा०-कहचरीपुर, पो०-बसहा, थाना-प्रखण्ड-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी 6200977556	4431101 1000608 3	BOI, BKID0 004431	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
02	स्व० मो० अली, 42, स्व० तय्यब अली, सामान्य वर्ग	मुन्नी खातुन, (पत्नी)	418, 08.04. 2026	ग्रा०-मैलवार, पो०-थाना+प्रखण्ड-परसौनी, जिला-सीतामढ़ी 9234858172	4676182 1000206 2	BOI, BKID0 004676	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
03	स्व० राम प्रवेश राय, 43, राजेन्द्र राय, पिछड़ा जाति	पूनम देवी, (पत्नी)	419, 08.04. 2026	ग्रा०-बाजोपट्टी, पो०-सोनमनी, थाना-प्रखण्ड-बाजोपट्टी, जिला-सीतामढ़ी 7256037872	4539010 0011755	BOB, BARB0 BACH AR	2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
04	स्व० धर्मवीर राय, 39, उपेन्द्र राय, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मंजू देवी, (पत्नी)	421, 08.04. 2026	ग्रा०-खाड़ी, पो०+थाना+प्रखण्ड-चौरौत, जिला-सीतामढ़ी 7426844300	3571688 6304	SBI, SBIN0 002949	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
05	स्व० विनोद कुमार उर्फ विनोद साह, 42, सत्यनारायण साह, पिछड़ा वर्ग	किरण देवी, (पत्नी)	422, 08.04. 2026	ग्रा०-परिगामा, पो०-चकचिकना, थाना-प्रखण्ड-चौरौत, जिला-सीतामढ़ी 7742854166	3661934 9523	SBI, SBIN0 002949	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
06	स्व० विजय कुमार दास उर्फ विरजू दास, 42, स्व० राजेन्द्र दास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	ललीता देवी, (पत्नी)	423, 08.04. 2026	ग्रा०-सकरम, पो०+थाना+प्रखण्ड-चौरौत, जिला-सीतामढ़ी 9871262035	5769101 1000949 1	BOI, BKID0 005769	50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

कुल :- रु० 4,50,000/-

(चार लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/—

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-53/2026-1094

पटना, दिनांक :- 19. / 08. / 2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


13/08/2026

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक